

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 4340/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2) ।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) ।
- (3) राष्ट्रपति द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4) ।
- (4) राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा

केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 5)
।

- (5) राष्ट्रपति द्वारा 16 मई, 2021 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का संख्यांक 6) ।
- (6) राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 2021 को प्रख्यापित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7) ।

[Placed in Library, See No. LT 4341/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4342/17/21]

- (2) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 - (दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4343/17/21]

- (3) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 4344/17/21]

-